प्रेमचन्द व अन्य बनाम
राज्य सरकार व अन्य
08 / 2024(प्रा0पत्र)
निर्णय दिनांकः–21 / 07 / 2025

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :– 08 / 2024 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 06 / 03 / 2024
निर्णय दिनांक :– 21 / 07 / 2025

अनवान

1. प्रेमचन्द पिता ताराचन्द माली जाति माली निवासी भवंरिया आंजना, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद राजस्थान।
2. गणेश पिता बालु माली जाति माली निवासी आंजना, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद राजस्थान।
3. मोहन पिता बालु माली जाति माली निवासी आंजना, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद राजस्थान।
4. खुमानसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी आंजना, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद राजस्थान।
5. राजकुमार पिता मोहनलाल अग्रवाल निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद राजस्थान।
6. मीठालाल पिता देवा माली निवासी आंजना, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद राजस्थान।
7. राजेन्द्रसिंह पिता श्यामसिंह राजपूत निवासी आंजना, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद राजस्थान।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
2. गोपीलाल पिता महाराम गुर्जर ज़ाति गुर्जर निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद राजस्थान।
3. प्रभूलाल पिता जगु जी गुर्जर जाति गुर्जर निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

प्रेमचन्द व अन्य बनाम
राज्य सरकार व अन्य
08 / 2024(प्रा0पत्र)
निर्णय दिनांकः–21 / 07 / 2025

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से – पैरोकार सरकार,
श्री इन्द्रमल कंसारा व गोविंद कंसारा अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 3019 / 31 रकबा 125.10 बीघा को नवीन खाता सं. 1750 खसरा सं. 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198 कुल किता 10 कुल क्षैत्रफल 27.1100 हैक्टेयर भूमि भूमि राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण व अन्य सामलाती खातेदारों के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज थी। कॉलम सं. 01 में वर्णित भूमि का सभी खातेदारों ने मिलकर आपसी सहमति से बंटवारा किया तथा मौके पर अपने अपने कब्जे एंव हिस्से अनुसार बंटवारा कर अपने अपने हिस्से व कब्जे अनुसार काबिज थे तथा अपनी–अपनी भूमियों का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के आपसी सहमति बंटवारें में 15.14 बीघा भूमि हिस्से में आई जो मौके पर काबिज हो राजस्व नक्शा ट्रेस में बंटवारा अनुसार तरमीम की गई तथा जिसके नये बटा नम्बर 3019 / 43, 3019 / 44, 3019 / 45, 3019 / 46, 3019 / 47, 3019 / 48, 3019 / 49, 3019 / 31 दर्ज किये गये तथा जो नक्शा राजस्व रेकार्ड़ में दर्ज हुआ मौके पर सभी खातेदार आपसी सहमति बंटवारा व नक्शा ट्रेस अनुसार ही मौके पर काबिज है। उक्त भूमि के प्रार्थीगण सह खातेदार मालिक हैं तथा मौके पर

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

आपसी सहमति बंटवारे तथा राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस मे तरमीम अनुसार ही अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं परन्तु नवीन जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण भूमि का कुछ रकबा बिलानाम दर्ज कर दिया गया हैं तथा कुछ रकबा विपक्षीगण सं. 02 व 03 के नाम दर्ज कर दिया गया हैं जो कि गलत हैं तथा त्रुटिवश राजस्व नक्षा ट्रेस में दर्ज हैं जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत् 2070–73 की प्रति व आपसी सहमति बंटवारनामा की प्रति साथ संलग्न हैं। प्राथीगण का उक्त भूमि पर वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर काबिज हैं परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एंव राजस्व नक्शे मे सेटलमेन्ट विभाग की त्रुटी एंव राजस्व कर्मचारीयो ने त्रुटी करते हुए प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि के कुछ हिस्से जिसके खसरा नं. 3189 / 5690 को बिलानाम दर्ज कर लिया हैं जबकि उक्त भूमि सेटलमेन्ट पूर्व राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज थी तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के नक्शा ट्रेस में विपक्षी सं. 02 व 03 का खसरा सं. 3209 जो दर्ज किया गया हैं वह त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज कर दिया गया हैं मौके पर सेटलमेन्ट पूर्व से उक्त भूमि पर काबिज है। परन्तु वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व नक्शे में सेटलमेन्ट विभाग की गलती से उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज कर ली हैं तथा कुछ रकबे पर गलत तरमीम विपक्षी सं. 02 व 03 की कर दी गई हैं जबकि प्रार्थीगण पूर्व जमाबन्दी एंव पूर्व राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार ही मौके पर काबिज है। उक्त राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन की जानकारी राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस एंव रेकार्ड प्राप्त करने पर हुई। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को बिलानाम दर्ज किया गया हैं तथा गलत तरमीम की गई हैं वह गलत दर्ज हैं उसकी जानकारी प्रार्थीगण को नही थी परन्तु अभी प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात की जमाबन्दी निकलवाने गये तो

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

जानकारी हुई की भूमि राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण दर्ज हैं जबकि सभी प्रार्थीगण पूर्व नक्शा अनुसार व बंटवारा अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। राजस्व रेकार्ड प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण के हिस्से की कुछ भूमि बिलानाम दर्ज कर ली गई हैं तथा कुछ भूमि गलत तरमीम कर दी गई हैं तब प्रार्थीगण को राजस्व नक्शे में त्रुटी की जानकारी हुई। प्रार्थी की खातेदारी भूमि को सेटलमेन्ट पूर्व राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी अनुसार अंकन एंव तरमीम कर दुरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के वास्तविक एंव सभी दस्तावेज पूर्व जमाबन्दी नकल व राजस्व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। पूर्व नक्शा ट्रेस जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। राजस्व रिकार्ड में त्रुटी की वजह से प्रार्थीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में त्रुटी वश हुए गलत अंकन को पूर्व जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार जिस स्थान पर प्रार्थी का मौके पर कब्जा हैं उसी अनुसार राजस्व जमाबन्दी रेकार्ड अंकन करा दुरस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती का आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण जब उक्त राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एंव नक्शा ट्रेस में हुई त्रुटी की शुद्धि हेतु तहसील कार्यालय पहूंचे तो वहां पर जानकारी हुई कि राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि के लिये दावा करना पडेगा जिससे राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के लिये आप न्यायालय में धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। जो त्रुटी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में की गई हैं उसे पुराने जमाबन्दी रेकार्ड एंव पुराने राजस्व रेकार्ड अनुसार शुद्धि करने के लिये श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व जमाबन्दी एंव ट्रेस में गलत अंकन होने की वजह से

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण भूमि को विकसित नही कर पा रहे हैं प्रार्थीगण सेटलमेन्ट पूर्व जमाबंदी व राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार ही मौके पर काबिज है। परन्तु नये नक्शे व जमाबन्दी में त्रुटीपूर्ण दर्ज होने की वजह से उसे विशुद्ध किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान से प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व जमाबन्दी एंव ट्रेस में प्रार्थी की खातेदारी जिसके पुराने खसरा नम्बर 3019 / 31 रकबा 125.10 बीघा को नवीन खाता सं. 1750 खसरा सं. 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198 कुल किता 10 कुल क्षेत्रफल 27.1100 हैक्टेयर भूमि को सेटलमेन्ट पूर्व जमाबंदी, नक्शा ट्रेस व मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकन विशुद्ध किये जाने का आदेश प्रदान करावें एंव सेटलमेन्ट पूर्व की स्थिति कायम कराई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया जो सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी संख्या 01 पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया। जवाब में उल्लेखित किया कि ग्राम देवगढ़ की गत जमाबन्दी खाता स 336 आराजी संख्या 3019 / 43 रकबा 15.13 बीघा खातेदार गोर्धनसिंह पिता मानसिंह राजेन्द्रसिंह जयसिंह पिता श्यामसिंह कुसुमकंवर बेवा श्यामसिंह राजपुत सा. देह खातेदार खाता संख्या 228 आराजी संख्या 3019 / 44 रकबा 15.14 बीघा खुमानसिंह सवाईसिंह पिता डुंगरसिंह 2 / 3 रावत सा भवरिया शिवरतन पिता जयनारायण भूतड़ा माहेश्वरी 1 / 3 सा ब्यावर खातेदार खाता संख्या 518 आराजी संख्या 3019 / 45 रकबा 15.14

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

बीघा दिपसिंह रणसिंह विजयसिंह पिता केशरसिंह राजुसिंह पिता लक्ष्मणसिंह भंवरीदेवी बेवा लक्ष्मणसिंह गणपतसिंह पिता मोहनसिंह केली बेवा मोहनसिंह रामसिंह तेजसिंह पुरणसिंह पिता भंवरसिंह मीठु बेवा भंवरसिंह कंकु बेवा दलासिंह रावत सा देह खातेदार खाता स 1426 आराजी संख्या 3019 / 46 रकबा 15.14 बीघा सत्यनारायण पिता वल्लभदास माहेश्वरी नि ब्यावर सुमन अग्रवाल पत्नि रविगुप्ता नि रायपुर राजकुमार पिता मोहनलाल अग्रवाल सा देह खातेदार खाता स 60 आराजी न 3019 / 47 रकबा 15.13 बीघा ईन्द्रादेवी पत्नि कमलकिशोर काकांणी माहेश्वरी तारादेवी पत्नि नन्दकिशोर कांकाणी माहेश्वरी कमलकिशोर पिता गौरीशंकर कांकाणी माहेश्वरी सा ब्यावर विमलकिशोर पिता गोरीशंकर कांकाणी माहेश्वरी सा ब्यावर खातेदार खाता संख्या 1027 आराजी संख्या 3019 / 48 रकबा 15.14 बीघा मीठु गोपीलाल लादुलाल प्यारचन्द सीता पिता देवा गीता बेवा गोकल श्रवण ना.बा. पिता गोकल सरंक्षक माता गीता वरदी बेवा प्रताप प्रकाश पिता प्रताप ना.बा. संरक्षक माता वरदी दीपा पुरण कन्हैयालाल हुक्मीचन्द डाली पिता गोरधन गटु बेवा गोरधन माली सा देह खातेदार खाता संख्या 250 आराजी संख्या 3019 / 49 रकबा 15.14 बीघा गणेश पिता बालु मोहन वरदा पिता काना ककु बेवा जेता माली सादेह खातेदार ख़ाता संख्या 1291 आराजी संख्या 3019 / 31 रकबा 15.14 बीघा लादु लाल प्रेमचन्द ललीता दुर्गा यालिग जमनां रेखा ना.बा. पिता ताराचन्द सरक्षंक माता रतनी बेवा ताराचन्द केली बेवा कस्तुर सा देह खातेदार दर्ज था। उक्त सभी आराजीए आराजी संख्या 3019 / 31 रकबा 125.10 बीघा से बने है। सेटलमेंट विभाग द्वारा गत आराजी संख्या 3019 / 31 रकबा 125.

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

10 बीघा के नवीन आराजी संख्या 3189 रकबा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3190 रकबा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3191 रकबा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3192 रकबा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3193 रकबा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3194 रकबा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3195 रकबा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3196 रकबा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3197 रकबा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3198 रकबा 2.72 हैक्टेयर, खातेदार कंकु पत्नि ज़ेठा हिस्सा 45183 / 1084400 जाति माली सा आंजना, कंकु पत्नि दल्लासिंह हिस्सा 4841 / 271100 जाति रावत सा आंजना, कंचनबेन पत्नि मुकेश हिस्सा 1 / 16 जाति विरवाल सा गुजरात, कन्हैयालाल पुत्र गोरधन हिस्सा 2259 / 216880 जाति माली, केली पत्नि मोहनसिंह हिस्सा 4841 / 542200 जाति राजपूत सा आंजणा खातेदार, खत्री मीनाबेन पत्नि जगदीशभाई हिस्सा 1 / 16 जाति खत्री सा सुरत गुजरात, खुमानसिंह पुत्र डुंगरसिंह हिस्सा 2824 / 67775 जाति राजपूत सा आंजणा, गटु पत्नि गोरधन हिस्सा 2259 / 16880 जाति माली सा आंजना, गणपतसिंह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा 4841 / 542200 जाति राजपूत सा आंजना, गणेश पुत्र बालु हिस्सा 45183 / 1084400 जाति माली सा आंजना, गिरजादेवी पत्नि भानुप्रतापसिंह हिस्सा 1 / 8 जाति राजपूत, गीता पत्नी गोकल हिस्सा 2421 / 542200 जाति माली सा आंजना, गोपीलाल पिता देवा हिस्सा 4841 / 542200 जाति माली सा आंजना, जमना पुत्री ताराचन्द हिस्सा 1412 / 67775 जाति माली सा आंजना, डाली पुत्री गोरधन हिस्सा 2259 / 216880 जाति माली, तेजसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 2421 / 542200 जाति रावत दुर्गा पुत्री ताराचन्द हिस्सा

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

1412/67775 जाति माली, दीपा पिता गोरधन हिस्सा 2259/216880 जाति माली, प्यारचन्द पुत्र देवा हिस्सा 4841/542200 जाति माली, प्रकाश पिता प्रताप हिस्सा 2421/542200 जाति माली, पुरणप पुत्र गोरधन हिस्सा 706/67775 जाति माली, पुरणसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 2421/542200 जाति राजपूत, प्रेमचन्द पुत्र ताराचन्द हिस्सा 22591/1084400 जाति माली, मुकेश प्यारेलाल वीरवाल पुत्र प्यारेलाल हिस्सा 2824/67775 जाति खटीक सा सुरत, मनोज पुत्र मुकुन्दलाल हिस्सा 14523/542200 जाति अग्रवाल सा देह, मिठु पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 4841/1084400 जाति रावत, मिठु पुत्र देवा हिस्सा 4841/542200 जाति माली, मोहनपुत्र काना हिस्सा 22591/1084400 जाति माली, रेखा पुत्री ताराचन्द हिस्सा 1412/67775 जाति माली, रणसिंह पुत्र केशरसिंह हिस्सा 4841/271100 जाति राजपुत, रतनी पुत्री ताराचन्द हिस्सा 1412/6775 जाति माली, राजकुमार पुत्र मोहनलाल हिस्सा 2824/67775 जाति अग्रवाल, रामसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 4841/1084400 जाति रावत, ललिता पुत्री ताराचन्द हिस्सा 22591/1084400 जाति माली, लादुलाल पिता देवा हिस्सा 4841/542200 जाति माली, वरदा पुत्र काना हिस्सा 22591/1084400 जाति माली, वरदी पत्नि प्रताप हिस्सा 2421/542200 जाति माली, श्रवण पुत्र गोकल हिस्सा 2421/542200 जाति माली, संजय पुत्र मुकुन्दलाल हिस्सा 14523/542200 जाति अग्रवाल, सत्यनारायण पुत्र वल्लभदास हिस्सा 45183/1084400 जाति माहेश्वरी सा ब्यावर, सुमन पत्नि रवीगुप्ता हिस्स 45183/1084400 जाति अग्रवाल सा रायपुर, सवाईसिंह पुत्र डूंगरसिंह हिस्सा 2824/67775 जाति राजपूत सा आंजना, सीता पुत्री देवा हिस्सा

सहायक कलेक्टर न्यायालय, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

4841 / 542200 जाति माली हुक्मीचन्द पुत्र गोरधन हिस्सा 706 / 67775 जाति माली सा आंजना खातेदार दर्ज किया गया है। पुराने आराजी संख्या 3019 / 43 रकबा 15.13 बीघा, आराजी संख्या 3019 / 44 रकबा 15.14 बीघा, आराजी संख्या 3019 / 45 रकबा 15.14 बीघा, आराजी संख्या 3019 / 46 रकबा 15.14 बीघा, आराजी न 3019 / 47 रकबा 15.13 बीघा, 3019 / 48 रकबा 15.14 बीघा, 3019 / 49 रकबा 15.14 बीघा, आराजी संख्या 3019 / 31 रकबा 15.14 बीघा पुराने लठ्ठा शीट में तरमीम होकर पुराने नक्शेनुसार काबिज है। ग्राम देवगढ़ के नवीन आराजी संख्या 3189 रकबा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3190 रक़बा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3191 रकबा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3192 रकबा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3193 रकबा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3194 रकबा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3195 रकबा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3196 रकबा 2.71 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3198 रकबा 2.72 हैक्टेयर, एवं आराजी संख्या 3209, 3208, 3189 / 5690 पर खातेदार काबिज है। ग्राम देवगढ़ के आराजी संख्या 3209 रकबा 2.3100 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गोपीलाल पुत्र महाराम हिस्सा 1 / 2 जाति गुर्जर, प्रभुलाल पिता जगु हिस्सा 1 / 2 जाति गुर्जर सा देह खातेदार एवं आराजी संख्या 3208 रकबा 0.50 हैक्टेयर आराजी संख्या 3189 / 5690 रकबा 1.88 हैक्टेयर भूमि नगरपालिका देवगढ़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है। पुराने खसरा संख्या के नवीन खसरा संख्या प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। प्रार्थना पत्र की

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

कलम संख्या 02 में वर्णित बंटवाड़ा सम्बन्धित तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 03 में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। आपसी सहमंति बंटवाड़ा एवं नक्शा ट्रेस अप्रार्थी संख्या 02 व 03 से संबंधित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पूर्व खसरा संख्या 3019 / 42 रकबा 19.06 बीघा भूमि अलग ही राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में दर्ज थी एवं उसी अनुसार काबिज है। प्रार्थना की कॉलम संख्या 04 में वर्णित तथ्य बंटवाडे एवं तरमीम सम्बधीत प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के नाम सही रूप से पूर्व खसरा संख्या के नवीन खसरा संख्या एवं नक्शा अंकित किया गया है जिसमें प्रार्थी का कोई हक हकुक नहीं है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 05(06) गलत होकर अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पूर्व खसरा संख्या 3019 / 42 रकबा 19.06 बीघा भूमि अलग ही राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में दर्ज थी एवं उसी अनुसार काबिज है। प्रार्थीगण कि भूमि एवं अप्रार्थीगण कि भूमि पूर्व में ही अलग खसरे में तरमीम थी एवं नक्शा अलग अलग जगह तरमीम था अप्रार्थी संख्या 02 व 03 भी अपने दर्ज नक्शे अनुसार काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 07 प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करे किस भूमि को बिलानाम किया व क्यों किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 से संबंधित नहीं है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 08 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी अपनी पूर्व भूमि एवं नवीन भूमि कि स्थिति एवं कब्जा स्वयं सिद्ध करें। विपक्षीगण कि भूमि में कोई हक हकुक नहीं है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 09 गलत होकर अस्वीकार है कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ। प्रार्थना पत्र की कॉलम

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ • जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

संख्या 10 में वर्णित कि प्रार्थी को जानकारी कब व कैसे हुई उसका अंकन नहीं है वाद हेतुक कब उत्पन्न हुआ यह अंकित नहीं है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 11 प्रार्थी स्वंय सिद्ध करें। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 12 किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है इसलिये गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 13 व 14 न्यायालय क्षैत्राधिकार एवं न्याय शुल्क से संबंधित होकर उत्तर की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया जो निरस्ती योग्य है। जवाब के विशेष उत्तर में उल्लेखित है कि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के पूर्व आराजी संख्या 3019 / 42 रकबा 19.06 बीघा थे जिसके एक मात्र खातेदार शुरू से लगायत आज दिन तक अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ही है। उक्त आराजी संख्या 3019 / 42 प्रार्थीगण की कभी आराजी संख्या रही ही है न ही उक्त आराजी सामलाती थी मात्र अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को हैरान परेशान करने के लिए बिना दस्तावेजी टाईटल देखे प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त भूमि संबंधी पूर्व में न्यायालय आप में एक प्रकरण अनवान गोपीलाल बनाम हीरालाल प्रकरण संख्या 326 / 2016 प्रार्थना पत्र दर्ज हुआ जिस पर निर्णय दिनांक 23.08. 2018 को न्यायालय आप द्वारा पटवार हल्का एवं तहसीलदार कि रिपोर्ट के आधार पर पुर्व खसरा संख्या 3019 / 42 का नक्शा राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया गया एवं मौके पर भी विपक्षीगण उसी अनुसार काबिज है। वर्तमान सेटलमेन्ट में भी उसी अनुसार राजस्व नक्शें में विपक्षी के पूर्व खसरा संख्या 3019 / 42 के नवीन खसरा संख्या 3209, 3214, 3215 अंकित हुये। विपक्षीगण उसी अनुसार काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

रूप से समस्त खातेदारो द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया किसी खातेदार कि भूमि कितनी कम व नक्शे में किस प्रकार से अशुद्धि की गई है यह स्पष्ट नहीं है समस्त खातेदारो का पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। विपक्षीगण पूर्व नक्शे एवं वर्तमान नक्शे अनुसार काबिज है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई हेतुक नहीं है विपक्षीगण कि भूमि पर प्रार्थीगण का कोई हक हकुक नहीं है प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से बिना समस्त पक्षकारों के एवं बिना किसी जानकारी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो काबिल निरस्ती योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्राथना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटि को शुद्ध किया जाना न्याय हित में आवष्यक है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में पुराने खसरा संख्या 3019 / 31 कुल रकबा 125.10 बीघा भूमि जिसके नवीन खाता संख्या 1750 खसरा संख्या 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198 कुल किता 10 कुल रकबा 27.1100 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजीयात का प्रार्थीगण द्वारा आपसी विभाजन हुआ था जहां प्रार्थीगण की भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज थी मौके पर कब्जा था राजस्व नक्शे में उसी अनुसार काबिज था। वर्तमान सेटलमेन्ट में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा आराजी संख्या 3209 की

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

गलत तरमीम कर दी गई है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के कुछ हिस्से जिसके खसरा संख्या 3189 / 5690 को बिलानाम दर्ज कर दिया गया है। वर्तमान सेटलमेन्ट में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना मौके की जांच पड़ताल किये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के कुछ हिस्से को बिलानाम दर्ज कर दिया तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया है जबकि प्रार्थीगण की भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज थी मौके पर कब्जा था राजस्व नक्शे में उसी अनुसार काबिज था। जिसके कारण प्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने मौका रिपार्ट की ताईद की। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि खाता संख्या 1750 में 44 खातेदार है जबकि सभी खातेदारों को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2016 में सहमति बंटवारा हुआ था जिसे सेटलमेन्ट विभाग ने एकचक शामिल आराजीयात कर दिये है जिस पर प्रार्थीगण द्वारा विभाजन कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र दायर नहीं किया गया है। सेटलमेन्ट से पूर्व आराजी संख्या 3019 / 42 रकबा 19.06 बीघा जिसके अप्रार्थी संख्या 02 व 03 खातेदार काबिज हो काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की भूमि पर कोई हक हकुक नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कितनी भूमि कम हुई एवं नक्शे में किस प्रकार से अशुद्धि की गई है इसका वर्णन नहीं किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a REvenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

(अ) प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों की माननीय न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या को समझना उचीत प्रतीत होता है।

(1) 1996 आर0बी0जे0 पृष्ठ 8: ख्याली व अन्य बनाम स्टैट ऑफ राजस्थान व अन्य(उच्च न्यायालय)

<u>RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956- SECTION 136-</u> Wrong entry made during settlement operation can be corrected by Land Record Officer.

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

(2) 2003 आर0बी0जे0 पृष्ठ 118: रूपनारायण बनाम कजोड़मल

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956- SECTION 136- Settlement Authorities have no power to delete the original entries and make new entries- In this case during the settlement operations Assistant Settlement Officer deleted the name of the applicant who is a recorded khatedar of the disputed land and made entries in the name of non-applicant whereas settlement authorities have no right to delete the original entry and made new entries without any of the competent court. **Revision accepted.**

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट मंगवाने बाबत् का पेश किया गया जिसे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नोटप्रस करने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट मंगवाने बाबत् को नोटप्रेस में निस्तारित किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

प्रेमचन्द व अन्य बनाम
राज्य सरकार व अन्य
08 / 2024(प्रा0पत्र)
निर्णय दिनांकः—21 / 07 / 2025

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है कि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के पुराने आराजी खसरा संख्या 3019 / 31 रकबा 125.10 बीघा भूमि के नवीन खाता संख्या 1750 आराजी संख्या 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198 कुल किता 10 कुल रकबा 27.1100 हैक्टेयर भूमि में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किए गए त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को राजस्व रिकार्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदअनुसार पटवारी हल्का देवगढ़ की रिपोर्ट अनुसार 3189 / 5690, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3208, 3209 की सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई तरमीम निरस्त कर एकचक कर मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमि को सेटलमेन्ट से पूर्व राजस्व नक्शे एवं कब्जे अनुसार तरमीम की कार्यवाही की जावें। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 21 / 07 / 2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द
सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) राजसमन्द